


क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	मोहन राठ आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	23/12/24	<p>पत्रावली पेश हुए वकील पक्ष कारण उपरि- ध्ये वकील वादी को काम- मुकाम शामिल होने अनंत अवसर देने के उपरान्त भी आज दिनांक तक इनके द्वारा अपाधीनगी / प्रतिवादीगणों शामिल नहीं कवाये गयी है और नाही ही शामिल हेतु नलवाना कोटिस पेश किए गए। अतः पत्रावली शामिल के अभाव में आर्डर 9RS के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली कैंसल सुनार होकर नम्बर से कम ही। आदेश खुले नामावली में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी साँभर लेक </p>	

